25/11/21

प्रार्थना पत्र दीवानी वकील प्रार्थी अधिवक्ता
प्रार्थना एवं आवश्यकता विचार दे पाया कि
प्रार्थी सम्पत्ति 26/2 प्रार्थना पत्र होने से तथा
प्रार्थी माह के अंतिम अवधि के कारण VD नोटिस
होगी व 24/1, 34/1 की खसरा बाकी
अंतिम Board आगामी दिनांक होने के
अंतिम एक पक्षीय कार्यवाही की जानी है। वकील
प्रार्थी प्रार्थी की अविवाद प्रकृति का आधार
निर्णयाधार बहस सुनी गई एवं अप्रार्थी के
विपक्ष पूर्व के एकपक्षीय कार्यवाही आगामी
लगाई जा चुकी है वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में
निवेदन किया कि प्रार्थी ने यह वाद अंतरिम
पत्रावली के आधार दौरान प्रथम
दृष्टयमेव हुई त्रुटि को साबित कर अपने हक
अधिकारों की घोषणा के लिए वाद प्रायुक्त किया है
इसलिए अस्तित्वपोष साबित करने वाले
दस्तावेज भी प्रस्तुत किये हैं। प्रार्थी ने यह निवेदन
किया है कि वर्तमान प्रार्थी के पास रिजर्व खातेदार
काश्तकार है व वह सही वह इस भूमि पर निरन्तर
काबिज चला आ रहा है अतः सुविधा का संतुलन
सन्तुलन भी उसके पक्ष में है। इस आधार पर
प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा के पालन करवाने
हेतु निवेदन किया।

युक्ति पत्रावली का अवलोकन कर पाया कि
प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध तथा
पूर्व दस्तावेज पेश किये और सि

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 14:51:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

# फर्द अहकाम

न्यायालय _____

गोकुलराम बनाम राधेश्याम

मुकदमा संख्या /वर्ष : 75 2012-17 /20

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | | अनुतोष चाहा है। परन्तु अपीलों के लंबित होने के कारणों का वर्णन नहीं किया गया। न्यायालय को प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः वाद के निर्णय तक अस्थायी रूप से वाद ग्राम 125 पुरा तहसील व जिला जयपुर में स्थित भूमि ख.नं. 71/124 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा, 71/122 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, 58 रकबा 3 बिस्वा, 75 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, 107/133 रकबा 04 बिस्वा, 74 रकबा 04 बिघा 12 बिस्वा, 52 रकबा 62 बीघा 01 बिस्वा व 71 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा का राजस्व रिकार्ड यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। तथा भूमि का विक्रय, स्थानान्तरण, आदि नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रत्यर्थी गण वाद के लंबित होने तक भूमि का कोई कार्य नहीं करेंगे। इस आदेश की तामील संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से करवाई जावे। जारी किया जाता है। दिनांक 29/11/2017 | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 14:51:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम